

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ३५३७/२०२४


दिनांक २५.१०.२०२४

श्री पवन कुमार शर्मा (RJ00203), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०१, कोटा को दिनांक २८.१०.२०२४ से २९.१०.२०२४ तक ०२ दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश दिनांक २६.१०.२०२४ से २७.१०.२०२४ एवं ३०.१०.२०२४ से ०३.११.२०२४ के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, कोटा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०१, कोटा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.२(४)/०९/१९९६/ ८५८३

दिनांक २५.१०.२०२४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
२. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०१, कोटा को उनके पत्रांक १९ दिनांक ०३.०९.२०२४ के सन्दर्भ में।
३. श्री पवन कुमार शर्मा (RJ00203), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०१, कोटा।
४. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ कम-०२, कोटा।


सहायक रजिस्ट्रार